

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 621]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2014—पौष 2, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

अधि. 123 क्र. एफ-1-13-2014-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994, के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद्, विदिशा, जिला विदिशा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	03 कस्तूरबा वार्ड 05 सरोजनी नायडू वार्ड 20 स्वामी दयानन्द सरस्वती वार्ड 22 रामकृष्ण परमहंस वार्ड 29 चन्द्र शेखर आजाद वार्ड 34 सम्राट अशोक वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	33 तमोरिया एवं मिर्जापुर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	10	04 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 07 चाणक्य वार्ड 08 इन्द्रा वार्ड 11 नाना साहव पेशवा वार्ड 16 महावीर स्वामी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
			19 विवेकानन्द वार्ड 25 मुंशी प्रेमचन्द्र वार्ड 27 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 35 राजीव नगर वार्ड 38 रसखान वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	03	05 सरोजनी नायडू वार्ड 20 स्वामी दयानन्द सरस्वती वार्ड 29 चन्द्र शेखर आजाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	05	04 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 08 इन्द्रा वार्ड 25 मुंशी प्रेमचन्द्र वार्ड 27 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 35 राजीव नगर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त स. क्र. 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड	11	02 रानी दुर्गावती वार्ड 12 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 13 बालाजी वार्ड 15 छत्रपति शिवाजी वार्ड 17 संत तुलसी वार्ड 18 दुर्गा वार्ड 26 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड 30 चन्द्रगुप्त वार्ड 31 शहीद भगत सिंह वार्ड 37 गांधी वार्ड 39 टीलाखेड़ी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.